



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072025-264674
CG-DL-E-15072025-264674

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3140]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 2025/आषाढ़ 24, 1947

No. 3140]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2025/ASHADHA 24, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2025

का.आ. 3210(अ).— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र की भूमि में से कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

और उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के क्षेत्र में अंतर्विष्ट व्योरे रेखांक धारक संख्या सी-1(ई)/III/जेजेआर/0425/1027, तारीख 5 अप्रैल, 2025, का निरीक्षण, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, (राजस्व विभाग) कोल ईस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001, महाराष्ट्र के कार्यालय में या मुख्य महाप्रबंधक (अन्वेषण प्रभाग), केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान, गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, रांची 834008 के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5th फ्लोर, कोर-2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092 के कार्यालय में या जिला कलेक्टर, जिला यवतमाल, (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से कोयले के लिए पूर्वक्षेपण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति-

- (i) उक्त अधिसूचना की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन की गई किसी कार्यवाही से हुई या होने वाली संभावित किसी क्षति के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा; या

- (ii) उक्त अधिनियम की धारा (13) की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा।

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, वणी क्षेत्र, पोस्ट तडाली, जिला यवतमाल (महाराष्ट्र) या महा प्रबंधक (भूमि और राजस्व), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भूमि और राजस्व विभाग, कोल ईस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001, महाराष्ट्र को भेज सकेगा।

अनुसूची

मुंगोली निरगुडा डीप ओपन कास्ट माइन,

वणी क्षेत्र,

जिला यवतमाल, (महाराष्ट्र)

[रेखांक धारक संख्या सी-1(ई)/III/जेजेआर/0425/1027, तारीख 5 अप्रैल, 2025]

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तहसील	ज़िला	भूमि का वर्णन				टिप्पणियाँ
				काश्तकारी	सरकारी	वन	कुल (हेक्टर में)	
1	शिवनी	वणी	यवतमाल	93.71	23.65	0.00	117.36	भाग
2	चिंचोली	वणी	यवतमाल	158.45	14.73	0.00	173.18	भाग
3	साखरा	वणी	यवतमाल	4.46	0	0.00	4.46	भाग
उप जोड़				256.62	38.38	0.00	295.00	

कुल क्षेत्र: 295.00 हेक्टर (लगभग) या 728.94 एकड़ (लगभग)

सीमा वर्णन:

खंड-1

क-ख: रेखा, बिंदु 'क' से आरंभ होती है और ग्राम मुंगोली तथा चिंचोली की सम्मिलित सीमा पर से उत्तर दिशा की ओर गुजरती है, और सीमा बिंदु 'ख' पर ग्राम चिंचोली में मिलती है।

ख-ग: रेखा, बिंदु 'ख' से आरंभ होती है और ग्राम चिंचोली सीमा पर से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर गुजरती है, और बिंदु 'ग' पर ग्राम चिंचोली में मिलती है।

ग-घ: रेखा, बिंदु 'ग' से आरंभ होती है और पश्चिम दिशा की ओर गुजरती है, और बिंदु 'घ' पर मिलती है।

घ-ङ: रेखा, बिंदु 'घ' से आरंभ होती है और दक्षिण दिशा की ओर गुजरती है, और बिंदु 'ङ' पर मिलती है।

ङ-च: रेखा, बिंदु 'ङ' से आरंभ होती है और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरती है, और बिंदु 'च' पर मिलती है।

च-छ: रेखा, बिंदु 'च' से आरंभ होती है और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर गुजरती है, और बिंदु 'छ' पर मिलती है।
 छ-ज: रेखा, बिंदु 'छ' से आरंभ होती है और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरती है, और बिंदु 'ज' पर मिलती है।
 ज-झ: रेखा, बिंदु 'ज' से आरंभ होती है और दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर गुजरती है, और बिंदु 'झ' पर मिलती है।
 झ-त्र: रेखा, बिंदु 'झ' से आरंभ होती है और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर गुजरती है, और बिंदु 'त्र' पर मिलती है।
 त्र-ट: रेखा, बिंदु 'त्र' से आरंभ होती है और पूर्व दिशा की ओर गुजरती है, और बिंदु 'ट' पर ग्राम चिंचोली तथा शिवनी की सम्मिलित सीमा मिलती है।
 ट-ठ: रेखा, बिंदु 'ट' से आरंभ होती है और उत्तर दिशा की ओर गुजरती है, और बिंदु 'ठ' पर मिलती है।
 ठ-क: रेखा, बिंदु 'ठ' से आरंभ होती है और पूर्व दिशा की ओर गुजरती है, और प्रारंभिक बिंदु 'क' पर मिलती है।

खंड-II

ड-ढ: रेखा, ग्राम साखरा के बिंदु 'ड' से आरंभ होती है और दक्षिण दिशा की ओर गुजरती है, और ग्राम साखरा की सीमा पर बिंदु 'ढ' पर मिलती है।
 ढ-ण: रेखा, बिंदु 'ढ' से आरंभ होती है और दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर गुजरती है, और बिंदु 'ण' पर मिलती है।
 ण-त: रेखा, बिंदु 'ण' से आरंभ होती है और उत्तर दिशा की ओर गुजरती है, और बिंदु 'त' पर ग्राम साखरा में मिलती है।
 त-ड: रेखा, ग्राम साखरा के बिंदु 'त' से आरंभ होती है और उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर गुजरती है, और ग्राम साखरा की सीमा पर प्रारंभिक बिंदु 'ड' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/6/2025-एलएआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2025

S.O. 3210(E).— Whereas, it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And whereas, the plan bearing number C-I(E)/III/JJR/0425/1027, dated the 5th April, 2025, containing details of the area of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur 440001, Maharashtra or at the office of the Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi 834008, or at the office of the Coal Controller, Coal Controller's Organization, Ministry of Coal, Scope Minar, 5th floor, Core-2, Laxmi Nagar, Delhi 110092 or at the office of the District Collector, District Yavatmal (Maharashtra).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from land described in the said Schedule.

Any persons interested in the land described in the said Schedules may –

- (i) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 thereof; or
- (ii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act,

to the Office of the Area General Manager, Western Coalfields Limited, Wani Area, Post Tadali, District Yavatmal (Maharashtra), or General Manager (Land and Revenue), Western Coalfields Limited, Land and Revenue Department, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur 440001, Maharashtra within a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Mungoli Nirguda Deep Open Cast Mine

Wani Area

District Yavatmal, Maharashtra

[Plan bearing number: C-I(E)/III/JJR/0425/1027, dated the 5th April, 2025]

Sr. No.	Name of Village	Tahsil	District	Description of land				Remarks
				Tenancy	Government	Forest	Total (in hectare)	
1	Shivni	Wani	Yavatmal	93.71	23.65	0.00	117.36	Part
2	Chincholi	Wani	Yavatmal	158.45	14.73	0.00	173.18	Part
3	Sakhara	Wani	Yavatmal	4.46	0	0.00	4.46	Part
Sub Total				256.62	38.38	0.00	295.00	

Total Area: 295.00 hectares (approximately) or 728.94 acres (approximately)

Boundary description:

BLOCK-I

A-B: Line starts from point 'A' on common village boundary of Mungoli and Chincholi, and passes towards North direction, and meets at point 'B' in village Chincholi.

B-C: Line starts from point 'B' in village Chincholi and passes towards West direction, and meets at point 'C' in village Chincholi.

C-D: Line starts from point 'C' and passes towards West direction, and meets at point 'D'.

D-E: Line starts from point 'D' and passes towards South direction, and meets at point 'E'.

E-F: Line starts from Point 'E' and passes towards SouthWest direction, and meets at point 'F'.

F-G: Line starts from Point 'F' and passes towards North West direction, and meets at point 'G'.

G-H: Line starts from point 'G' and passes towards South West direction, and meets at point 'H'.

H-I: Line starts from point 'H' and passes towards South-East direction, and meets at point 'I'.

I-J: Line starts from point 'I' and passes towards South East direction, and meets at point 'J'.

J-K: Line starts from point 'J' and passes towards East direction, and meets at point 'K' on common village boundary of Chincholi and Shivni.

K-L: Line starts from point 'K' and passes towards North direction, and meets at point 'L'.

L-A: Line starts from point 'L' passes towards East direction, and meets point at initial 'A'.

BLOCK-II

M-N: Line starts from point 'M' of village Sakhara and passes towards South direction, and meets at point 'N' on the boundary of village Sakhara.

N-O: Line starts from point 'N' and passes towards South-East direction, and meets at point 'O'.

O-P: Line starts from point 'O' and passes towards North direction, and meets at point 'P' in village Sakhara.

P-M: Line starts from point 'P' and passes towards North-West direction, and meets at initial point 'M' on the boundary of village Sakhara.

[F. No. 43015/6/2025-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.